कार्यालय
सामान्य वनमण्डल सीहोर (म0प्र0)

सीहोर–इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001
Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2024/ 2845 **सीहोर दिनांक** 28/3/2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग सीहोर।

विषयः- सीहोर जिले के परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत प्रस्तावित महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण में प्रभावित वनभूमि 37.030 हेक्टे. वनभूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने संबंध में।

संदर्भः- वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रमांक/माचि/1662 दिनांक 20.03.2024

--00--

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि प्रकरण में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग जिला सीहोर द्वारा वनमण्डल सीहोर के परिक्षेत्र रेहटी में महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु 37.030 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन बावत् आवेदन किया गया जिसकी भाग-2 की पूर्ति कर प्रस्ताव वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल को ऑनलाईन एवं हार्ड कापी के माध्यम से प्रेषित किया गया। तदानुसार उनके द्वारा कुछ बिंदुओं के माध्यम से कमियां/त्रुटियो से अवगत् कराया गया। जिसमे कुछ बिंदुओं की पूर्ति आपके द्वारा किया जाना है जो कि निम्नानुसार हैः-

1. ऑनलाईन प्रेषित भाग-1 अनुक्रम (F) Displacement of People deu to the Project, if any में आवेदक द्वारा NO लेख किया गया है। जबकि उक्त वन भूमि पर आश्रित लोगो/परिवार का विस्थापन होना हैं। परीक्षण कर सुधार करावें।
2. इसी प्रकार प्रस्ताव के भाग 1 अनुक्रम (B2.1), (B2.2), (B2.3), (B2.4) अनुसार प्रकरण में उपरोक्त 37.030 हेक्टेयर वन भूमि के अतिरिक्त 34.578 हेक्टेयर राजस्व भूमि भी प्रभावित हो रही है। उक्त राजस्व भूमि में कोई राजस्व वनभूमि अर्थात् छोटे बड़े झाड़ का जंगल तो नहीं है? अतः उचित होगा कि, इस आशय का संबंधित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे, ताकि बाद में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
3. निर्धारित प्रारूप भाग I अनुक्रमांक C (III) के तारतम्य मे व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की SOI Topasheet पर इन्डेकस नहीं है।
4. न्यूनतम वनक्षेत्र प्रमाण पत्र संलग्न करावे।
5. प्रकरण में निम्नलिखित भूमि हस्तांतरित की गई हैः-

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टे.में)	नोईयत
मिर्जापुर	14/1	3.655	निस्तार
-"-	14/2/1	17.116	पठार (उबड़ खाबड़)
	योग	**20.771**	
मिर्जापुर	1/1/1क	22.800	जंगल माल पठार
-"-	271/1	5.221	जंगल
	योग	**28.021**	
	कुल योग	**48.792**	

इस प्रकार (37.031 - 20.771= शेष 16.260) हेक्टेयर के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि अथवा (16.260 X 2) = 32.520 हेक्टेयर दुगनी राजस्व वनभूमि हस्तांतरित की जाना चाहिए थी। परन्तु आपके द्वारा 32.520 हेक्टेयर के विरूद्ध उपरोक्तानुसार 28.021 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि ही हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार 32.520-28.021= 4.499 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कम हस्तांतरित की गई है। अतः 4.499 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि अथवा 2.250 हेक्टेयर गैर वनभूमि और हस्तांतरित करावें।

अतः उपरोक्त बिंदुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः ऑनलाईन एवं हार्डकापी के माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।

एम.एस.डावर भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2024/ 2846 **सीहोर, दिनांक** 28/3/2024

प्रतिलिपिः- वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर